भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय)
(Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture)
मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर–842002 (बिहार) भारत
Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India
Ph: 0621-2289475, 2281162 Fax: 0621-2281162

निविदा सूचना संख्या–1/2017–2018

इस केन्द्र के शोधरत लीची के लगभग 636 पेड़ो के फल की प्रयोगोपरान्त नीलामी हेतु वर्ष 2017 के लिए इच्छुक खरीददारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । ये पेड़ मुशहरी प्रक्षेत्र पर स्थित हैं। इसके लिए अग्रधन राशि निविदा पत्र के अन्य शर्त्तो के साथ उल्लेखित है, जिसे 500 रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) (वापसी योग्य नही) प्रति निविदा पत्र की दर से कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी संस्थान के वेवसाइट www.nrclitchi.org एवं www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा दिनांक 29.04.2017 को 4:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा एवं दिनांक 01.05.2017 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11:30 बजे पूर्वाहन् को खोला जायेगा ।

प्रशासनिक अधिकारी
भा.कृ.अनु.प.–रा.ली.अनुसंधान केन्द्र
मुजफ्फरपुर

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture Farmers Welfare)

मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार) भारत

Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India

Ph: 0621-2281160, 2281161 Fax: 0621-2281162

निविदा सूचना संख्या-01/2017-18

विषयः- भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर,, के मुशहरी प्रक्षेत्र के लीची फलों की वर्ष 2017, की नीलामी

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर,, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001 की तरफ से वर्ष 2017 के लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा का विवरण निम्न प्रकार है ।

ब्लॉक	प्रयोगात्मक लीची के पौधों का विवरण	कुल पौधे	अग्रधन राशि
I.	प्रखण्ड-अ,ब,स,द एवं फ (Block-A, B, C, D & F)	646	15000.00 अग्रधन राशी डिमान्ड ड्राफ्ट (ICAR Unit-NRCL Payable at SBI Mushahari, Muzaffarpur) के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करें जिसकी वापसी निविदा प्रकिया समाप्त होने के पश्चात होगी।

उपर्युक्त प्रक्षेत्र उत्पाद को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/संगठन निर्धारित निविदा प्रारूप में अपना निविदा क्रमशः इस कार्यालय को जमा कर सकते है ।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः-

1. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु प्रक्षेत्र उत्पादों का निरीक्षण 22.04.2017 **से 28.04.2017** किसी भी कार्यदिवस के बीच प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है ।
2. निविदा पत्र, इस कार्यालय से पाँच सौ रुपये मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । यह किसी अवस्था में लौटाया नहीं जायेगा।।

3. निविदाकर्ता निविदा का मूल्य का उल्लेख करेंगं एवं इसे संलग्न फार्म-1, जिसे बयाना राशि रसीद के साथ एवं नियम एवं शर्तो की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करेंगे । जिसका मतलब होगा कि उन्हें उल्लिखित नियम एवं शर्ते मान्य है । फार्म-1 की दूसरी प्रति निविदाकर्ता अपने पास रखेंगे ।

4. सभी निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके उपर **निविदा संख्या-01/2017-18 "लीची फल की नीलामी हेतु निविदा"** लिखी होनी चाहिए । निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अथवा पंजीकृत डाक (डी.डी सहित) द्धारा भेजी जा सकती है । यह सुनिश्चित करते हुए की निविदा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो । डाक से भेजने पर कोई क्षति/देर के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा ।

5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय **29.04.2017** को 4:00 बजे है ।

6. निविदा खुलने की तिथि एवं समय **01.05.2017** को अपराहन् 11:30 बजे है ।

7. **निविदा खुलना**-निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते है ।

8. **भुगतान की विधि**-निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्धारा जमा की गयी रकम का 50 प्रतिशत राशि का इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भुगतान करना होगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान फल तुड़ाई के प्रारंभ करने के 4-5 दिन पहले करना होगा ।पूर्ण राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी । संस्थान में POS मशीन द्वारा भुगतान किया जा सकता है। नकद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को उच्चतम शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा । पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

10. **मध्यस्तता**- किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु भा. कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) को प्रषित किया जा सकता है । राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा ।

11. **सुरक्षा व्यवस्था**- निविदाकर्ता को फलों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश आपदा अथवा किसी अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नही होगा एवं आवेदन के उपर विचार नही किया जायगा।

12. प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों की निगरानी में ठेकेदार को अपने श्रमिको द्धारा फसल की तुड़ाई पेड़ो से करनी होगी । तुड़ाई का कार्य प्रात: 07:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों को प्रक्षेत प्रभारी एवं संम्बधित ब्लॉक के वैज्ञानिक के निर्देशानुसार करनी होगी।

13. इस केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई अन्य कार्यो के कराये जाने पर ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप/आपत्ति का अधिकार नहीं होगा ।
14. फलों की तुड़ाई का कार्य पौधों को बिना क्षति पहुँचाए किया जाना होगा ।
15. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिक की राय अंतिम होगी ।
16. प्रत्येक पौधों की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के वैज्ञानिकों/तकनीशियन/प्रतिनिधि अंकित करेंगे ।
17. लीची परीक्षण में संबंधित वैज्ञानिक द्वारा तुड़ाई के समय दिये जाने वाले निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा ।
18. संबंधित ब्लॉकों के वैज्ञानिको एवं प्रक्षेत्र प्रभारी को पेड़ो के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु फलों का नमुना (Sample) एकत्रित/लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
19. फलों की तुड़ाई, रख रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी ।
20. ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्धारा संस्थान को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इस प्रकार से नुकसान की अवस्था में सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. ठेका अवधि नीलामी की 50 प्रतिशित राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं फलों की तुड़ाई समाप्त होते ही समाप्त होगी ।
22. प्रक्षेत्र के अन्य कार्य (तकनीकी/तोड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करेंने के उपरान्त तुड़ाई करने की अनुमति होगी।
23. ठेकेदार फलों की सुरक्षा हेतु प्रयाप्त संख्या में सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेगें। जिसकी जानकारी केन्द्र को पहले ही देनी होगी। सुरक्षा प्रहरी में तैनात व्यक्यिों को पूरा विवरण फोटो, नाम, पता का परिचय पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/ कार्यालय का जमा करना होगा।
24. फलों की तुड़ाई हेतु ठेकेदार द्वारा रात्री में श्रमिकों का ठहराव प्रक्षेत्र के अन्दर मान्य नहीं होगा ।
25. चिन्हित लीची फल वृक्ष, डालियों, टहनियों (Tagged and Marked Plants, Branches and Twings/Shoots) में फलों की तुड़ाई वैज्ञानिको के उपस्थिति में करना अनिवार्य होगा।
26. फलों की तुड़ाई में किसी भी प्रकार से शाखाओं एवं टहनियों, प्रयोग के दृष्टि से लगाये गये निशान, टैगिंग (tagging), Bagging आदि की क्षति नहीं होनी चाहिए ऐसा पाये जाने पर ठकेदार के सुरक्षित राशी की अंशत: या पूर्णत: जब्त कर लिया जायेगा।
27. ठेकेदार द्वारा दी गई दर संतोषजनक न होने की स्थिति में उपस्थित निविदाकर्ता से बन्द लिफाफे में बढ़े दर पर पुन: बोली दर ली जा सकता है। इस पर निदेशक रा.ली.अनु. केन्द्र का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
28. **सुरक्षा राशि:** ठेकेदार को फल तुड़ाई निविदा के लिए ''सुरक्षा राशि'' कार्यालय में जमा करना होगा जो फलों की तुड़ाई के उपरान्त सब कुछ ठीक-ठाक रहने पर वापास किया जायेगा। सुरक्षा राशि नीलामी की बोली का 10 प्रतिशत होगा ।

29. **नोट: प्रति पौधा निम्नांकित लीची फलों का नमुना (Sample) परीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित वैज्ञनिकों के द्वारा समय-समय पर तुड़ाई के पहले या तुड़ाई के समय पर लिया जायेगा जिसके लिए अनुसंधान केन्द्र द्वारा कोई मूल्य नही दिया जायेगा इसमे ठेकेदार के द्वारा कोइ आपत्ति मान्य नहीं होगी।**

ब्लॉक	**प्रयोगात्मक लीची के पौधों का विवरण**	**कुल पौधे**	**नमुना की मात्रा**
अ (A)	शाही-I	57	100 फल प्रति पौधा
	शाही- II	130	
	शाही -III	116	
	शाही -IV	76	
	सरंक्षण (Conservation)	46	
	कुल	**425**	
ब (B)	मदर ब्लॉक	10	50 फल प्रति पौधा
	पुरानी जर्मप्लाज्मा (Old Germplasm)	27	
	पुरानी जर्मप्लाज्मा (Old Germplasm)– II	47	
	कुल	**84**	
स (C)	चाईना- I	6	100 फल प्रति पौधा
	चाईना- II	32	
	कुल	**38**	
द (D)	फर्टिगेशन (Fertigation)	36	50-100 फल प्रति पौधा
	उच्च धनत्व (Density)	53	
	कुल	**89**	
फ (F)	सीमा साइड (Boundary Side)	10	
	कुल	**10**	
	कुल जोड़ (A+B+C+D+F)	**646**	

खण्डों की जानकारी साथ में संलग्न है। कृपया अनुछेदक/Annxure "A" एवं अनुछेदक/ Annuxure "B" अधिक जानकारी लिए अवश्य देखें ।

30. प्रशासनिक कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

31. तुड़ाई के लिए लगाए गए श्रमिवों की आयु अनिवार्य रूप से 14 (चौदह) वर्ष के उपर होनी चाहिए

32. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये Gate Pass के बिना संस्थान से लीची ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

33. अन्य कार्य (तकनीकी/तोड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करें । समस्याओं का हल न होने पर सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर, होगा ।

34. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, को सुरक्षित होगा।

35. बाजार मूल्य पर संस्थान के कर्मचारियों को अधिकतम 20-25 किलोग्राम फल उनके द्वारा मागे जाने पर भुगतानोपरान्त देने की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित करना होगा।

प्रशासनिक अधिकारी
भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर,

....

<u>उपर लिखे सभी नियम एवं शर्ते मुझे पूरी-पूरी मान्य है ।</u>

ठेकेदार के हस्ताक्षर:

तिथि:

सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर:

(दूरभाष संख्या)

फार्म संख्या-1 (निविदा दर पत्र)

1. ठेकेदार का नामः
2. पत्राचार का पताः ग्राम-

   पोस्ट-

   थाना-

   जिला-

   पिन कोड-
3. दूरभाष / मोबाईल संख्या :
4. निविदा खुलने की तिथि एवं समय : 01.05.2017 को 11:30 बजे अपराह्न
5. प्रक्षेत्रः मुशहरी, मुजफ्फरपुर
6. फल का विवरण : लीची फल

प्रखण्ड/खण्ड का विवरण

ब्लॉक	प्रयोगात्मक लीची के पौधों का विवरण	कुल पौधे	दर (अंक एवं अक्षरों में साफ-साफ लिखें)
I.	प्रखण्ड–अ,ब,स,द एवं फ	646	

ठेकेदार का हस्ताक्षरः-

तिथिः-

मोबाईल नंः